न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत
शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

मिसल नंबर 28 / 15 — निर्णय दिंनाक 23.06.2017

बउनवान

1. मांगीलाल पुत्र फून्दीलाल जाति महाजन निवासी धूलेट तहसील कनवास।

बनाम

1. कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना पंचायत समिती सांगोद।
2. मोहनलाल पुत्र फून्दीलाल।
3. चन्द्रकला पुत्र फून्दीलाल जाति महाजन निवासी धूलेट तहसील कनवास।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

उपस्थित :—

वादी स्वयं

प्रतिवादी क्रम 04 की ओर से तहसीलदार कनवास।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास, जिला कोटा

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट बाबत चाहने स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 02 एवं 03 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की पैतृक आराजी माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में खाता संख्सा नई 323 के खसरा नंबर 1937 की रकबा 2.33 है0, किस्म चाही सोयम लगानी 37.28 रू0 की स्थित है, जिसके चारों ओर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 02 व 03 ने फसल सुरक्षा हेतु पत्थरों का परकोटा करवा रखा है, तथा पश्चिमी मेड पर भी पत्थरों का परकोटा हो रहा है। उक्त आराजी को वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2, 03 संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। यह कि वादी व प्रतिवादी नंबर 02 व 03 की पेरा नंबर 01 में वर्णित आराजी की पश्चिमी मेड के बाद पुरानी गडार है जो अभी भी है लेकिन वर्तमान में उसमें झाड उग रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

यह कि प्रतिवादी क्रम 01 वादी एवं प्रतिवादीक्रम 02 व 03 के वाद पत्र के पैरा नंबर 01 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 1937 के खेत की पश्चिमी मेड पर कोट के अन्दर मिट्टी खोदकर खेत के अन्दर नया रास्ता बनाने पर अमादा है। जबकि पुराना रास्ता कोट के बाहर पश्चिम तरफ है जो गांव धूलेट की तरफ से सीधी आ रही है लेकिन प्रतिवादी क्रम 01 वादी व प्रतिवादी क्रम 2, 3 को नाजायज पेरशान करने की नियत से उक्त रास्ते को मोडकर पुरानी गडार में ना बनाते हुऐ वादी एवं प्रतिवादी क्रम 02 व 03 के खेत के पश्चिमी मेड पर स्थित कोट के अन्दर मिट्टी खोदकर नया रास्ता बनाने पर आमदा है। जिससे वादी एवं प्रतिवादी क्रम 02 व 03 के खेत की उपयोगिता ही समाप्त हो जावेगी तथा वादी एवं प्रतिवादी नंबर 02 व 03 को अपने स्वंय की मिलकियत व कब्जे काश्त की आराजी से हाथ धोना पडेगा जिसके वादी व प्रतिवादी क्रम 02 व 03 को काफी आर्थिक क्षति होगी। जबकि वादी व प्रतिवादी नंबर 02 व 03 के उक्त खेत के अन्दर कभी कोई रास्ता नंही रहा है। ना ही नक्शा ट्रैस में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2, 3 के उक्त खेत में रास्ता है। प्रतिादी क्रम 01 कुछ लोगों के राजनीतिक प्रभाव में आकर उन्हें फायदा पहुंचाने की नियत से वादी एवं प्रतिवादी नंबर 02 व 03 के खेत के पश्चिमी कोट के अन्दर मिट्टी खोदकर रास्ता बनाने पर आमादा है जबकि वादी एवं एवं प्रतिवादी क्रम 02 व 03 के खेत के पश्चिमी कोट के अन्दर बिना भूमि अधिगृहित किये व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये हुये प्रतिवादी क्रम 01 को मिट्टी खोदकर नया रास्त कायम करने का या ग्रेवल सडक बनाने का कोई विधिक अधिकार हासिल नंही है।

वादी द्वारा पुनः अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 02 व 03 के पक्ष में व प्रतिवादी क्रम 01 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि प्रतिवादी क्रम 01 वादी एवं प्रतिवादी क्रम 02 व 03 के खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट की खाता संख्या 323 के खसरा नंबर 1937 रकबा 2.33 है0, आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत न करें नां ही खेत के पश्चिमी कोट के अन्दर घुसकर खेत में से किसी प्रकार से मिट्टी की खुदाई करें। ना ही खेत के अंदर नया रास्ता कायम करें। ना तो प्रतिवादी क्रम 01 स्वयं ऐसा करे नां ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से ऐसा करावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जर्ये सम्मन किया गया।

पत्रावली सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत धूलेट में प्रस्तुत हुई, वादी स्वंय उपस्थित प्रतिवादीक्रम 01 लगायत 03 बावजूद सूचना अनुपस्थित हुऐ, उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई।

हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावजों के अवलोकन करने तथा प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 की अनुपस्थिति होने से इस निष्कर्श पर पहुंचते है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 02 व 03 के पक्ष में व प्रतिवादी क्रम 01 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि प्रतिवादी क्रम 01 वादी एवं प्रतिवादी क्रम 02 व 03 के खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट की खाता संख्या 323 के खसरा नंबर 1937 रकबा 2.33 है0, आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत न करें नां ही खेत के पश्चिमी कोट के अन्दर घुसकर खेत में से किसी प्रकार से मिट्टी की खुदाई करें। ना ही खेत के अंदर नया रास्ता कायम करें। ना तो प्रतिवादी क्रम 01 स्वयं ऐसा करे नां ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से ऐसा करावें। इस तरह से वादी के पक्ष में निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 02 व 03 के पक्ष में व प्रतिवादी क्रम 01 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर पारित फरमाई जाती है कि प्रतिवादी क्रम 01 वादी एवं प्रतिवादी क्रम 02 व 03 के खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट की खाता संख्या 323 के खसरा नंबर 1937 रकबा 2.33 है0, आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत न करें नां ही खेत के पश्चिमी कोट के अन्दर घुसकर खेत में से किसी प्रकार से मिट्टी की खुदाई करें। ना ही खेत के अंदर नया रास्ता कायम करें। ना तो प्रतिवादी क्रम 01 स्वयं ऐसा करे नां ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से ऐसा करावें। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 23.06.2017 को मजमेआम में सुनाया गया।

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
कनवास, जिला कोटा

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईजलास प्रमोद कुमार सिन्धव (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बउनवान

1. मांगीलाल पुत्र फून्दीलाल जाति महाजन निवासी धूलेट तहसील कनवास।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास जिला कोटा

बनाम

1. कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना पंचायत समिती सांगोद।
2. मोहनलाल पुत्र फून्दीलाल।
3. चन्द्रकला पुत्र फून्दीलाल जाति महाजन निवासी धूलेट तहसील कनवास।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट बाबत चाहने स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं 28/15 सन 2015 निर्णय दिंनाक 23.06.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वंय प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 एक तरफा एवं प्रतिवादी क्रम 04 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है वादी एवं प्रतिवादी क्रम 02 व 03 के पक्ष में व प्रतिवादी क्रम 01 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर पारित फरमाई जाती है कि प्रतिवादी क्रम 01 वादी एवं प्रतिवादी क्रम 02 व 03 के खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट की खाता संख्या 323 के खसरा नंबर 1937 रकबा 2.33 है0, आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत न करें नां ही खेत के पश्चिमी कोट के अन्दर घुसकर खेत में से किसी प्रकार से मिट्टी की खुदाई करें। ना ही खेत के अंदर नया रास्ता कायम करें। ना तो प्रतिवादी क्रम 01 स्वयं ऐसा करे नां ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

ऐसा करावें। उपरोक्तनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरहत ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.06.2017 को जारी की गई।

मोहर ....

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास जिला कोटा

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ''''	----------NIL----		स्टाम्प वकालतनामा ''''	----------NIL----	
स्टाम्प वकालतनामा ''''			स्टाम्प अर्जी ''''		
स्टाम्प वजह सबूत ''''			महनताना वकील ''''		
महनताना वकील ''''			खर्चा गवाहान ''''		
खर्चा गवाहान ''''			फीस कमिश्नर ''''		
फीस कमिश्नर ''''			बाबत इजराय हुकमनामा''''		
बाबत इजराय हुकमनामा ''''			मुतफर्रिक ''''		
मुतफर्रिक ''''			मीजान ''''		
मीजान ''''					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

प्रमोद कुमार सिन्धव
(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास जिला कोटा